न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार कस्वा R.A.S.

गोपाल आदि बनाम श्रवण आदि
प्रकरण सं0 44/19

ना पत्र संख्या :– 44/2019

दायर तारीख :– 20.06.2019

1. गोपाल पुत्र पूरा
2. जीवण पुत्र पूरा
3. मोहनलाल पुत्र पूरा
4. रामेश्वर पुत्र पूरा

समस्त जाति जाट नि0 लूनियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

--- प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र पूरा जाति जाट नि0 सुरपुरा तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

--- अप्रार्थी

उपस्थित : श्री लालचन्द कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण
राज पेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत् राजस्व नक्शें में तरमीम करवाये जाने

निर्णय

निर्णय दिनांक : 13-11-19

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खं0नं0 27 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम लूनियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें से 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की माता मोहरीदेवी पत्नि पूरा ने दिनांक 27.08.63 को उक्त आराजीयात की पश्चिमी दिशा की भूमि क्रय की थी जिस पर प्रार्थीगण अपनी माता के साथ काबिज होकर काश्त कर उसका उपभोग उपभोग करते आ रहे थे। उक्त आराजीयात खं0नं0 297 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा का जमाबन्दी में विभाजन कर 1/2 हिस्सें अनुसार खं0नं0 297/2 मोहरीदेवी पत्नि पूरा की खातेदारी में तथा खं0नं0 297/1 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम जमाबन्दी में दर्ज कर दी गई किन्तु राजस्व नक्शे में विभाजन अनुसार तरमीम नहीं की गई तथा जमाबन्दी में खातेदारी पृथक कर खाता अलग कर दिया गया। प्रार्थीगण की माता मोहरी पत्नि पूरा का स्वर्गवास होने के पश्चात् उक्त आराजीयात का विरासत के अनुसार नामान्तकरण प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की बहिनें फूलीदेवी, भगवानीदेवी, रामेश्वर, इकराज, बरजीदेवी, सुगनी के नाम स्वीकृति गई जिनमें से फूलीदेवी, भगवानी, इकराज, बरजीदेवी, सुगनी ने प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 06.04.18 व दिनांक 05.01.18 को हकत्याग कर दिये जाने के कारण समस्त खातेदारी 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के नाम अमल दरामद किया गया है इस प्रकार उक्त खं0नं0 297/2 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा आराजी जो खं0नं0 297 के राजस्व नक्शें में पश्चिमी दिशा में स्थित पर प्रार्थीगण काबिज है। उपरोक्त नक्शे के अनुसार पश्चिमी हिस्से पर खं0नं0 297/2 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा आराजी स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी की है तथा इसी प्रकार पूर्वी दिशा में खं0नं0 297/1 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 उपरोक्त नक्शें में वर्णित कब्जें काश्त के अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा जमाबन्दी में भी खातेदारी इसी प्रकार दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शें [illegible] की आराजी खं0नं0 297/1 व 297/2 के बजाय खं0नं0 297 दर्ज कर रखी है जिसे उपरोक्त नक्शें में मार्क ए से बी डॉटेड लाईन के अनुसार तरमीम कर राजस्व नक्शे में विभाजन के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार [illegible] का पटवारी को राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by RajKumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:23:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

किये जाने हेतु दिनांक 13.08.19 को निवेदन किया की अप्रार्थी सं0 1 ने रकबा
पटवारी ने न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा इस कारण यह प्रार्थना पेश करना
आवश्यक हुआ है।
प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीकृत किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री
गिरधारीलाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा पक्षकारान ने राजीनामा पेश
किया जिसमें अंकित किया कि उक्त प्रकरण राजस्व नक्शे में खं0नं0 297/1 व
297/2 की तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें पक्षकारान ने समझौता
कर नक्शा खं0नं0 297 की आराजी में संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने हेतु
सहमत है। राजीनामा के संलग्न नक्शे में खं0नं0 297/2 की आराजी पश्चिम की
तरफ तथा खं0नं0 297/1 की आराजी पूर्वी तरफ में है तथा इसी अनुसार तरमीम
किया जाना सही है तथा खं0नं0 297/2 की आराजी में से प्रस्तावित नक्शे में मार्क
ए से बी 12 फुट रास्ता तरमीम किये जाने में सहमत है तथा रास्ता दोनों पक्षों का
शामलाती रहेगा। पटवारी हल्का ने फर्द मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें अंकित किया
कि मौके पर सहखातेदार श्रवण पुत्र भूरा हि0 1/2 रामेश्वर, जीवण, मोहनलाल,
गोपाल पुत्र पूरा हि0 1/2 जाति जाट ने उक्त आराजी का मनबट बंटवारा कर
सीमा बना रखी है तथा उक्त बंटवारे के अनुसार ही राजीनामा कर सक्षम न्यायालय में
उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में प्रा0पत्र सं0 44/19 गोपाल वगै0 बनाम श्रवण वगै0
में प्रस्तुत कर रखा है। उक्त राजीनामा भी मौका काबिज मनबट बंटवारे में अनुसार
ही है। मुताबिक संलग्न राजीनामें के स्टाम्प के अनुसार 12 फुट चौड़ाई का रास्ता
की भूमि गोपाल वगै0 की भूमि में से कम कर रास्ता शामलाती दर्ज रिकोर्ड किया
जाएगा। अतः मौका व राजीनामें के अनुसार तरमीम में नक्शा तैयार कर संलग्न
किया गया है।
प्रार्थीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खं0नं0 297 ग्राम लूनियावास,
नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75, फोटो प्रति तरमीम करवाने हेतु तहसीलदार
कि0रेनवाल की रिपोर्ट की प्रतिया पेश की है।
बहस वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन
किया कि आराजी खं0नं0 27 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम लूनियावास तह0 कि0रेनवाल
जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें से 13 बीघा 18 विस्वा भूमि प्रार्थीगण की
माता मोहरीदेवी पत्नि पूरा ने दिनांक 27.08.63 को उक्त आराजीयात की पश्चिमी
दिशा की भूमि क्रय की थी जिस पर प्रार्थीगण अपनी माता के साथ काबिज होकर
काश्त कर उसका उपभोग उपभोग करते आ रहे थे। उक्त आराजीयात खं0नं0 297
रकबा 27 बीघा 16 विस्वा का जमाबन्दी में विभाजन कर 1/2 हिस्सें अनुसार खं0नं0
297/2 मोहरीदेवी पत्नि पूरा की खातेदारी में तथा खं0नं0 297/1 रकबा 13 बीघा
18 विस्वा की खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम जमाबन्दी में दर्ज कर दी गई किन्तु
राजस्व नक्शे में विभाजन अनुसार तरमीम नहीं की गई तथा जमाबन्दी में खातेदारी
पृथक कर खाता अलग कर दिया गया। प्रार्थीगण की माता मोहरी पत्नि पूरा का
स्वर्गवास होने के पश्चात् उक्त आराजीयात का विरासत के अनुसार नामान्तकरण
प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की बहिनें फूलीदेवी, भगवानीदेवी, रामेश्वर, इकराज, बरजीदेवी,
सुगनी के नाम स्वीकृति गई जिनमें से फूलीदेवी, भगवानी, इकराज, बरजीदेवी, सुगनी
ने प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 06.01.18 व दिनांक 05.01.18 को हकत्याग कर दिये
जाने के कारण समस्त खातेदारी 1/2 हिस्सा प्रार्थी[illegible] दरामद किया
गया है इस प्रकार उक्त खं0नं0 297/2 [illegible] बीघा 18 विस्वा आराजी जो
खं0नं0 297 के राजस्व नक्शें में पश्चिमी दिशा में [illegible] काबिज है।
उपरोक्त नक्शे के अनुसार पश्चिमी हिस्से पर खं0नं0 297/2 रकबा 13 बीघा 18
विस्वा आराजी स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी की है तथा इसी प्रकार पूर्वी दिशा
में खं0नं0 297/1 रकबा 13 बीघा 18 विस्वा अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by RajKumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:23:21 IST
Reason: SelfAttested

ण्ड अधिकारी
लेक

Scanned by CamScanner

आराजी है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 उपरोक्त नक्शें में वर्णित कब्जें काश्त के अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा जमाबन्दी में भी खातेदारी इसी प्रकार दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शें में उक्त खातेदारी की आराजी खं0नं0 297/1 व 297/2 के बजाय खं0नं0 297 दर्ज कर रखी है जिसमें उपरोक्त नक्शें में मार्क ए से बी डॉटेड लाईन के अनुसार तरमीम कर राजस्व नक्शें में विभाजन के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस प्रार्थीया पर अवलोकन/मनन किया गया। उभय पक्षकारान आपसी सहमति व राजीनाम से तरमीम करवाना चाहते है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार कि0रेनवाल से प्राप्त रिपोर्ट, पत्रावली में संलग्न राजीनामा के आधार पर प्रा0पत्र प्रार्थी साबित है व प्रार्थीगण मुताबिक संलग्न नक्शा राजीनामा तरमीम करवाने के अधिकारी है। राजीनामा के संलग्न नक्शा में रास्ता का उल्लेख किया गया है जिसके लिए रास्ता स्वीकृति हेतु प्रार्थीगण व अप्रार्थी विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में अलग से प्रा0पत्र दायर कर कार्यवाही करें। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मुताबिक राजीनामा साबित होने पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार कर तहसीलदार कि0रेनवाल को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकोर्ड व राजस्व नक्शा के अनुसार राजीनामा के संलग्न नक्शा को ध्यान में रखते हुए खं0नं0 297 की तरमीम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13-11-19 **को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
साभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:23:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner